

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

NAAC 'A+ Grade

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/2025/958
दिनांक: 13.06.2025

सेवा में,

प्रबन्धक,
रामकिशुन महाविद्यालय,
करकापुर, अलावलपुर, गाजीपुर।**विषय:-**स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 07.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त मा0 कुलपति जी ने शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 23 अगस्त 2011 एवं 04 दिसम्बर, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पद
डॉ० रूचि कुमारी	श्री बच्चा सिंह	01.01.1979	एम0ए0, पी-एच0डी0	प्राचार्य

आधार संख्या-738760446326

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति प्राचार्य एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड संख्या सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्फ़ीडरिबल प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन नेट प्रमाण पत्र/पी-एच.डी. प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन किया जाता है।

भवदीय,

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/2025/1321
दिनांक: 04.07.2025

सेवा में,

प्रबन्धक,
रामकिशुन महाविद्यालय,
करकापुर, अलावलपुर, गाजीपुर।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में प्रवक्ताओं के पद पर अभ्यर्थियों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-16.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त मा० कुलपति जी के आदेश दिनांक 13.06.2025 के अनुक्रम में शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 23 अगस्त 2011 तथा 04 दिसम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 5 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु प्रवक्ता के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया है कि उक्त अनुमोदन सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	विषय/पद नाम
1.	डॉ० मदनलाल सोनी आधार नं०-745168953526	श्री अभ्यनन्दन सोनी	05.06.1993	एम०ए०, पी०एच०डी०	प्रवक्ता समाजशास्त्र
2.	कु० नीतू देवी आधार नं०-767404493391	श्री बलराम	15.10.1994	एम०ए०, नेट	प्रवक्ता संस्कृत
3.	डॉ० श्रुति सिंह आधार नं०-512400146253	श्री प्रेमानन्द सिंह	23.10.1992	एम०ए०, पी०एच०डी०	प्रवक्ता शिक्षाशास्त्र
4.	डॉ० कीर्तिमान कुमार गौड़ आधार नं०-990152880012	श्री बलवन्त गौड़	07.07.1988	एम०ए०, पी०एच०डी०	प्रवक्ता राजनीतिशास्त्र
5.	डॉ० कल्याणी आधार नं०-846106856209	श्री मनीलाल राय	16.07.1994	एम०ए०, पी०एच०डी०	प्रवक्ता गृहविज्ञान
6.	श्री अंशुल कुमार पाठक आधार नं०-666185410120	श्री मुकुन्द लाल पाठक	20.03.1993	एम०ए०, नेट	प्रवक्ता हिन्दी
7.	श्री शैलेन्द्र सिंह कुशवाहा आधार नं०-301205942423	श्री रामध्यान सिंह	20.12.1996	एम०ए०, नेट	प्रवक्ता भूगोल

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ताओं के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्द्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

कुलसचिव